

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]  
No. 56]दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2014/वैशाख 3, 1936  
DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2014/VAISHAKHA 3, 1936[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 13  
[ N.C.T.D. No. 13

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 अप्रैल, 2014

फा. सं. एफ.9 (1)(2) पीएनडीटी/डीएफडब्ल्यू/03/3304-3319.—गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन का प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 2 के खण्ड (द) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) तथा उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए राज्य उपयुक्त प्राधिकरण के निम्नलिखित तीन सदस्यों को नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

| क्रम संख्या | राज्य उपयुक्त प्राधिकरण के सदस्य  |
|-------------|---|
| 1.          | निदेशक, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, 7वां तल, बी एवं सी विंग, विकास भवन-2, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-54। (अध्यक्ष)              |
| 2.          | अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 8वां तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली। (सदस्य) |
| 3.          | प्रो. तुलसी पटेल, महिला संगठन की प्रतिनिधि, बी-5/318, एकता गार्डन, 9, पटपड़गंज, दिल्ली-92 (सदस्य)   |

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd April, 2014

F. No. F.9 (1)(2)PNDT/DFW/03/3304-3319.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) and 1726 DG/2014

clause (a) of sub-section (3) of section 17 read with clause (r) of section 2 of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following three Members of the State Appropriate Authority for the National Capital Territory of Delhi for the purposes of the said Act, namely:—

Sl. No. Members of the State Appropriate Authority

1. The Director, Family Welfare, Government of NCT of Delhi, 7th Level, B and C Wing, Vikas Bhawan II, Civil Lines, New Delhi-110054 (Chairperson)
2. Addl. Secretary (Law, Justice and LA), Govt. of NCT of Delhi, 8th level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi (Member)
3. Representative of Women's Organisation, Prof. Tulsi Patel, B-5/318, Ekta Garden, 9 Patparganj, Delhi-92 (Member)

फा. सं. एफ.9/7/1/ डीएफडब्ल्यू/पीएनडीटी/03/पार्ट/3320-3333.—गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन का प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली राजपत्र साप्ताहिक 15 मई से 21 मई, 2009 भाग-IV में प्रकाशित दिनांक 18 मई 2009 की अधिसूचना संख्या एफ.9/7/1/डीएफडब्ल्यू/पीएनडीटी/03/पार्ट/327-339 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके क्षेत्राधिकार के

